MILKFOOD LIMITED

5th Floor, 91, Bhandari House, Nehru Place, New Delhi-110 019
Ph.: 26460670-4 / 26463773 Fax : 011-26460823
E-mail : milkfoodltd@milkfoodltd.com, Website : www.milkfoodltd.com
CIN : L15201PB1973PLC003746 GST : 07AAACM5913B1ZY

MFL/SCY/2022-23

09th June, 2022

The BSE Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai- 400 001

Sub: Newspaper Clippings - Advertisement of notice of meetings of (i) Equity Shareholders, (ii) Unsecured Creditors and (iii) Secured Creditors of the Milkfood Limited, to be held pursuant to the Order of the Chandigarh Bench of the Hon'ble National Company Law Tribunal.

Scrip Code No.: 507621

Dear Sir/Madam

In continuation to our letter dated 8th June, 2022, we would like to inform that Notice of aforesaid meetings was inadvertently published in Jansatta, All Editions, in English Language in place of Hindi Language.

In this regard, we enclose herewith copies of the advertisement of notice of meetings, given in the Jansatta, All Editions, in Hindi Language today, i.e., 9th day, June, 2022.

This is for your information and dissemination on your website.

Thanking you,

Yours faithfully
For Milkfood Limited

MILKFOOD LIMITED NEW DELHI

Rhakur

(Rakesh Kumar Thakur)
Company Secretary

Encl: a/a

मौसम

तापमान	नई दिल्ली
अधिकतम–44.5	सूर्योदय– 5:23
न्यूनतम– 31.5	सूर्यास्त– 19:18

हंसते-हंसते सामाजिक संदेश

फिल्म समीक्षा
रवींद्र त्रिपाठी

जनहित में जारी

★★½

निर्देशक : जय बसंतु सिंह

कलाकार :नुसरत भरूचा, अनुद ढाका, विजय राज, टीनू आनंद।

यह फिल्म कुछ कुछ अक्षय कुमार की चार साल पहले आई 'पैडमैन' की तरह है जो सामाजिक संदेश देती है। 'पैडमैन' में सैनिटरी नेपकिन के इस्तेमाल का संदेश था। इसमें नुसरत भरूचा ने निरोध के इस्तेमाल का संदेश दिया है। मध्य प्रदेश के छोटे से इलाके ओरछा की पृष्ठभूमि में बनी 'जनहित में जारी' कॉमेडी है और दर्शक को शुरू से आखिर तक हंसते रहने के कई मौके देती है। साथ साथ ये संदेश भी कि महिलाओं के स्वास्थ्य की समुचित सुरक्षा के लिए जरूरी है कि यौन संबंधों के दौरान कंडोम का इस्तेमाल हो।

नुसरत ने मनोकामना नाम की एक महिला का किरदार निभाया है जो अपने परिवार की जरूरत के लिए एक ऐसी कंपनी मे नौकरी करती है, जो कंडोम बनाती है। लेकिन इस बात को न उसका मायका जल्द स्वीकार करता है और न ससुराल। खासकर उसका ससुर तो ये सब जानते ही आसमान सिर पर उठा लेता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसको अपने पति रंजन (अनुद ढाका) से तलाक लेना पड़े। कई तरह के झमेले खड़े होते हैं। परिवार में तकरार पैदा होती है। ससुर की भूमिका में विजय राज ने एक ऐसे परिवार के मुखिया का किरदार निभाया है जो अपने फैसले इस आधार पर लेता है कि पंचायत के चुनाव में वो जीतेगा या हारेगा। पूरी फिल्म विजय राज और नुसरत पर टिकी है। पति के रूप में अनुद ढाका कई जगहों पर दबे दबे से हैं। हां, ददिया ससुर के रूप में टीनू आनंद अपने चुटीले संवाद से हंसाते रहते हैं।

फिल्म के कुछ गाने लोकप्रिय होंगे। खासकर 'उड़ता गुलाल इश्क वाला' जिसे अमित गुप्ता ने गाया है। फिल्म कुछ और चुस्त होती तो बेहतर हो जाती। कुछ हिस्से हटाए जा सकते थे। फिल्म युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

अगले साल से दिल्ली-एनसीआर में कोयले के इस्तेमाल पर पाबंदी

नई दिल्ली, 8 जून (भाषा)।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक जनवरी, 2023 से पूरे दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक, घरेलू और अन्य कार्यों में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं ।

ताप बिजली संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छूट दी गई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक जनवरी, 2023 से पूरे दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक, घरेलू और अन्य कार्यों में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, ताप बिजली संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छूट दी गई है।

एनसीआर में औद्योगिक इकाइयों में सालाना लगभग 17 लाख टन कोयले का उपयोग किया जाता है, जिसमें अकेले छह प्रमुख औद्योगिक जिलों में लगभग 14 लाख टन कोयले की खपत होती है।

सीएक्यूएम ने तीन जून को जारी एक आदेश में कहा कि कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध एक अक्तूबर से पीएनजी बुनियादी ढांचे और आपूर्ति वाले क्षेत्रों में और एक जनवरी 2023 से उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां पीएनजी आपूर्ति अभी भी उपलब्ध नहीं है।

सीएक्यूएम ने कहा कि अगले साल एक जनवरी से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ईंधन के रूप में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आयोग ने इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए आम जनता और क्षेत्र के विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए थे। कोयले पर प्रतिबंध लगाने को लेकर उसे बड़ी संख्या में सुझाव मिले।

सीएक्यूएम ने ऐसे सभी सुझावों और प्रस्तावों की जांच करने और उन पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। अपनी रिपोर्ट में, विशेषज्ञ समूह ने कोयले जैसे भारी प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को समाप्त करने और यथासंभव स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य करने की पुरजोर सिफारिश की।

'आप' पर भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 जून।

अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) पर भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है। यही वजह है कि हमारे खिलाफ सभी साजिशें विफल हो जाती हैं।

2018 में नौकरशाह पर कथित हमले से संबंधित एक मामले में केजरीवाल और सिसोतिया को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की याचिका को खारिज करने वाली दिल्ली की एक अदालत की रिपोर्ट को ट्विटर पर टैग करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान उनके साथ है। उन्होंने कहा कि ईश्वर हमारे साथ है। भगवान का आशीर्वाद हम पर है। हमारे खिलाफ सभी षड्यंत्र नाकाम हो जाते हैं।

केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 जून।

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका बुधवार को खारिज कर दी। प्रकाश ने 2018 में खुद पर हुए कथित हमले के मामले में यह याचिका दाखिल की थी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने मजिस्ट्रेट अदालत के निष्कर्षों को बरकरार रखा, जिनके आधार पर इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य विधायकों को आरोप मुक्त किया गया था।

प्रकाश ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि अदालत ने मामले में राजनेताओं को बरी करने के अपने फैसले में गलती की। यह आपराधिक मामला 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक के दौरान प्रकाश पर हुए कथित हमले से संबंधित है। निचली अदालत ने इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 'आप' के अन्य विधायकों राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज गोविंद, आदेश गुप्ता, मदन लाल और दिनेश मोहनिया को आरोप मुक्त कर दिया था। हालांकि अदालत ने इस मामले में 'आप' विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

केजरीवाल, सिसोदिया और 'आप' के नौ अन्य विधायकों को अक्तूबर 2018 में जमानत दे दी गई थी। अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल को भी हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस मामले के चलते दिल्ली सरकार और इसके नौकरशाहों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई थी

निगम जन सुनवाई में 190 शिकायतें, 26 का समाधान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 जून।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की तरह एकीकृत नगर निगम की जन सुनवाई में तीन दिनों में 190 शिकायतें आईं जिसमें 26 शिकायतों को सुनवाई स्थल पर ही समाधान कर दिया गया।

कूड़ा, अनधिकृत निर्माण, जहां-तहां मलबा डालने, मृत्यु प्रमाण पत्र, लाइसेंस, वर्षा जल संचयन, मोबाइल टावर और जीपीएफ स्थानांतरण जैसे कई शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों को तुरंत संबंधित अधिकारी को गंभीरता से लेते हुए समाधान के लिए भेज दिया जाता है। कुछ शिकायतों को अधिकारी तुरंत समाधान कर देते हैं। सुनवाई में शामिल होने वाले को संबंधित उपायुक्तों के दफ्तर से स्लिप लेकर शामिल होने कहा गया है। निगम ने सोमवार छह जून से आम नागरिकों की सुविधा के लिए निगम के सभी 12 क्षेत्रीय कार्यालयों में जन सुनवाई आरंभ की गई है। निगम द्वारा आरंभ की गई जन सुनवाई के माध्यम से नागरिकों ने क्षेत्रीय उपायुक्तों से अपनी शिकायतें साझा कर रहे हैं। सोमवार से लेकर बुधवार तक लगभग 190 शिकायतें सभी क्षेत्रीय उपायुक्तों द्वारा सुनी गई हैं जिसमे से 26 शिकायतों का निदान मौके पर ही कर दिया गया। निगम द्वारा जनसुनवाई के लिए दोपहर 12 से एक बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

SBI
आर ए सी पी सी, सी-03बी, सेक्टर-55, नोएडा-201301,
दूरभाष: 0120-2544468/70/71/72
फैक्स: 0120-2544469/71/74, ई-मेल: sbi.14702@sbi.co.in

परिशिष्ट IV नियम-8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक,** आरएसीपीसी- I, सैक्टर-55, नोएडा का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार **श्रीमती पूनम अग्रवाल और श्री विनोद अग्रवाल को** एक मांग नोटिस दिनांक **27.10.2021** को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि **रू 4,99,296/- (रु. चार लाख निन्यान्वे हजार दो सौ छियान्वे मात्र) दिनांक 27.10.2021 से भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **03.06.2022** को लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक,** आरएसीपीसी- I, सैक्टर-55, नोएडा **के प्रभार वास्ते राशि रू 4,99,296/- (रु. चार लाख निन्यान्वे हजार दो सौ छियान्वे मात्र) दिनांक 27.10.2021 से भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति पर मालिकाना हक श्रीमती पूनम अग्रवाल और श्री विनोद अग्रवाल
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश सम्पत्ति फ्लैट नं. 003, भूतल, एम.आई.जी टाईप, जे.एन.सी, कृष्णा हरिटेज, प्लॉट नं. 21, ब्लॉक-ए, शालीमार गार्डन एक्स- I I, गॉव पसौंदा, तह. और जिला गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट, चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं. 20-ए, पश्चिम में – फ्लैट नं. 007 (भूतल) उत्तर में – फ्लैट नं. 001(भूतल), दक्षिण में – फ्लैट नं. 005(भूतल)

दिनांक : 03-06-2022, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक

कोरोना के 564 नए मामले, एक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 जून।

राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 564 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं, संक्रमण के चलते एक मरीज की मौत हो गई। संक्रमण दर 2.84 फीसद दर्ज की गई। मंगलवार को कोरोना के 450 मामले आए थे। संक्रमण दर 1.92 फीसद रही और एक मरीज की जान चली गई थी।

जहांगीरपुरी में दो गुटों में पथराव, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 जून।

महेंद्रा पार्क थाने के जहांगीरपुरी इलाके में फिर मंगलवार देर रात एक बार दंगे की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया।

पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि यह दो समुदायों में दंगा नहीं बल्कि एक गुट के सदस्य को थप्पड़ मारने पर शुरू हुआ विवाद है। आरोप है कि दंगे की अफवाह दूसरे गुट ने फैला दी। हालांकि मंगलवार देर रात दोनों गुटों में हुए विवाद में जमकर ईंट-पत्थर चले। इस दौरान गली में खड़े करीब एक दर्जन वाहनों के शीशे आदि टूट गए। महेंद्रा पार्क थाना पुलिस ने दंगे की धारा में मामला दर्ज कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दो नाबालिगों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण चंडीगढ़ के समक्ष,
प्रपत्र सं. सीएए. 2
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अनुसार]
कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीएए) संख्या 44/सीएचडी/पीबी/2021
निम्नलिखित के मामले में:
तृप्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
(अन्तरक कंपनी)
तथा
मिल्कफूड लिमिटेड
(अन्तरिती कंपनी)
तथा
उनके संबंधित शेयरधारक और लेनदार
मिल्कफूड लिमिटेड की बैठकों की सूचना का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 13.05.2022 के एक आदेश द्वारा, माननीय न्यायाधिकरण ने अन्तरक कंपनी और अंतरिती कंपनी तथा उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच समामेलन की प्रस्तावित योजना पर विचार करने और यदि उचित समझा, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदन के उद्देश्य से अन्तरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।

उक्त आदेश के अनुसरण में और उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार एतद्वारा आगे नोटिस दिया जाता है कि अन्तरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों की बैठकें वस्तुतः सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) प्लेटफॉर्म से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने और मतदान करने की सुविधा प्रदान की जायेगी ताकि हितधारकों को पूर्वोक्त संकल्प के माध्यम से योजना पर विचार करने और अनुमोदन करने में सक्षम बनाया जा सके। तदनुसार, योजना के लिए प्रतिभूत लेनदारों, अप्रतिभूत लेनदारों और अन्तरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों द्वारा मतदान शनिवार, 9 जुलाई, 2022 को क्रमशः 10.30 पूर्वाह्न, 11:30 पूर्वाह्न और 02.30 बजे अपराह्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।

धारा 230 के तहत समामेलन की योजना और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां अन्तरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निः शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं या अन्तरिती कम्पनी के आधिकारिक प्रतिनिधि, श्री राकेश ठाकुर, कंपनी सचिव, दूरभाष संख्या +91-26460670 से या अन्तरिती कंपनी के पास info@milkfoodltd.com पर ईमेल करके से प्राप्त की जा सकती हैं। कंपनी अन्तरिती कंपनी के शेयरधारकों को इक्विटी शेयरधारकों की ट्रिब्यूनल द्वारा बुलाई गई बैठक के पूर्वोक्त नोटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव पर मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए पोस्टल बैलेट ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान कर रही है। कंपनी ने अपने सभी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') को नियुक्त किया है। ई-वोटिंग के लिए www.evotingindia.com पर लॉग इन करके ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नोटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव के संबंध में पोस्टल बैलेट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान बुधवार, 06 जुलाई, 2022 को पूर्वाह्न 09.00 बजे से शुरू होगा और शुक्रवार, 08 जुलाई, 2022 को 5.00 बजे अपराह्न समाप्त होगा। ।

कॉर्पोरेट निकाय का अधिकृत प्रतिनिधि, जो अन्तरिती कंपनी का हितधारक है, बैठक में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है, बशर्ते कि निदेशक मंडल या निकाय कॉर्पोरेट के अन्य शासी निकाय या पावर ऑफ अटॉर्नी या प्राधिकरण के संकल्प की एक प्रति प्रस्तुत की गई हो। इस तरह के प्रतिनिधि को इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों और अन्तरिती कंपनी के अप्रतिभूत लेनदारों की संबंधित बैठकों में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाला पत्र, info@milkfoodltd.com पर विधिवत ई-मेल किया जाना है या भौतिक रूप से या कूरियर द्वारा अन्तरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अन्तरिती कंपनी के हितधारकों की प्रत्येक संबंधित बैठक के शुरू होने के निर्धारित समय से 48 (अड़तालीस) घंटे पहले, यानी 7 जुलाई, 2022 को 10.30 बजे से तक या उससे पहले पहले प्रतिभूत लेनदारों के लिए, 11.30 बजे पूर्वा. तक अप्रतिभूत लेनदारों के लिए और दोपहर 02.30 बजे अप. तक इक्विटी शेयरधारकों के लिए, भेजा जाना है। कोई व्यक्ति/संस्था जो इस तिथि तक अप्रतिभूत लेनदार नहीं है, को इस नोटिस को केवल सूचना उद्देश्यों के लिए मानना चाहिए और वह बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।

कंपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लेने वाले हितधारकों को ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए एक सुविधा प्रदान कर रही है, जो ई-वोटिंग द्वारा ई-मेल info@milkfoodltd.com के माध्यम से या तो पीडीएफ/जेपीजी/स्कैन किए गए छवि प्रारूप में मतदान कर सकते हैं या ऐसे सभी बैलट पोलिंग पेपर को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित बैठक में प्रस्ताव का आह्वान करने के बाद 5वीं मंजिल, 91, भंडारी हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019 में अन्तरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजा जा सकता है।

माननीय न्यायाधिकरण ने अधोहस्ताक्षरी को उक्त बैठकों के अध्यक्ष, अधिवक्ता श्री मनुज नागरथ को वैकल्पिक अध्यक्ष और कार्यरत कंपनी सचिव श्री पी.डी. शर्मा को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। समामेलन की योजना, यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित की जाती है, तो बाद में माननीय न्यायाधिकरण के अनुमोदन के अध्यधीन होगी।

ह./-
न्यायमूर्ति रंजीत सिंह (सेवानिवृत्त)
(बैठकों के लिए नियुक्त अध्यक्ष)

दिनांक : 7 जून, 2022

www.readwhere.com